क्रम संख्या 1+4
कोर्ट संख्या 4
खंड पीआईएल
सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया
कार्यवाही का दस्तावेज
याचिका (नागरिक) संख्या 196, 2001
नागरिक स्वातंत्र्य संगठन
याचिकाकर्ता
बनाम

भारत सरकार व अन्य
प्रतिवादी
(सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डीपी वाधवा की रिपोर्ट कोर्ट में पेश)

आई.ए. संख्या 90, 93, 102–1053 संख्या 196/2001 (प्रतिवादी क्रमांक 17,जो कि महारा ट्र सरकार है, की मंजूरी के बाद, संशोधन, व दिशानिर्देश, पश्चिम बंगाल के एम.आर. डीलर्स एसोसिएशन तथा ऑल बंगाल फेयर शॉप डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से हस्तक्षेप, ओ.टी. दाखिल करने से छूट, आई.ए. नंबर 104 तथा 105 को क्रियान्वयन तथा ओ.टी. दाखिल करने से छूट) तथा डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 277/2010 (कार्यालय रिपोर्ट के साथ) तारीखः 31.08.2010 इन याचिकाकर्ताओं, आवेदकों को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया।

कोरमः

- सम्माननीय श्री जस्टिस दलवीर भंडारी
- सम्माननीय श्री जस्टिस दीपक वर्मा

- याचिकाकर्ताओं की ओर से :
- श्री कोलिन गोंजालविस, वरिष्ठ वकील
- श्री दिव्या ज्योति, वकील
- सुश्री ज्योति मेंहदीरत्ता, वकील

- डॉ. अमन हिंगोरानी, वकील
- सुश्री प्रिया हिंगोरानी, वकील
- सुश्री स्वीति सुंबली, वकील

- प्रतिवादी की ओर से
- श्री मोहन पारासरन एएसजी
- श्री डीएल चिदानंद, वकील
- श्री एसडब्ल्यूए कादरी, वकील
- सुश्री सु मा सूरी, वकील

- अनिल कटियार, वकील
- श्री डीएस मेहता, वकील
- श्री बीवी बलराम दास, वकील

Mr. Jana Kalyan Das,Adv.(NP)

- W.P.(C)No.196/2001 contd..

Ms.Hemantika Wahi,Adv.
Ms.Renuka Sahu, Adv.
Ms. Indra Sawhney,Adv.
Dr.Manish Singhvi, AAG
Mr.Devanshu Kr.Devesh, Adv.
Mr. Milind Kumar,Adv.
Mr. Navneet Kumar,Adv.
for M/s. Corporate Law Group,Advs.
Ms. Rachana Srivastava,Adv.
Mr.Malay Chaturvedi, Adv.
Mr. T.V. George,Adv.(NP)
Ms. Kamini Jaiswal,Adv.
Mr. Khwairakpam Nobin Singh,Adv.
Mr.Sapam Biswajit Meitei, Adv.
Mr. Ranjan Mukherjee,Adv.
Mr.R.Sundaravaradan, Sr.Adv.
Mr. V.G. Pragasam,Adv.
Mr. S.J. Aristotle,Adv.
Mr. Prabu Ramasubramanian,Adv.
Mr. Jatinder Kumar Bhatia,Adv.(NP)
Mr. Pramod Swaup,Sr.Adv.
Mr.Sahil K.Dwivedi, AAG
Mr.R.K.Gupta, Adv.
Mr.Rajiv Dubey, Adv.

Mr.Kamlendra Mishra, Adv.
Mr. Ravi Prakash Mehrotra,Adv.(NP)
Mr. Gopal Singh,Adv.
Mr. Manish Kumar,Adv.
Mr. Rituraj Biswas,Adv.
Mr. Tara Chandra Sharma,Adv.
Ms. Neelam Sahrma,Adv.
Mr. Anil Shrivastav,Adv.
Mr. Rituraj Biswas,Adv.

W.P.(C)No.196/2001 contd..

Mr. Edward Belho,Adv.
Ms.K. Enatoli Sema,Adv.
Mr.Rituraj Biswas, Adv.
For Mr. Balaji Srinivasan,Adv.

Mr.Wilson, AAG
Mr. T. Harish Kumar,Adv.
Mr.Prasanth P., Adv.
Mr.V.Vasudevan, Adv.

Mr.Sanjiv Sen, Adv.
Mr. P. Parmeswaran,Adv.
Mr.Prashant Kumar, Adv.
Mrs.Anuja Chopra, Adv.

Mr.Atul Jha, Adv.
Mr. D.K. Sinha,Adv.

Mr. Gopal Prasad,Adv.

Ms. Anjana Chandrashekar,Adv.(NP)

Mr. Ramesh Babu M.R.,Adv.(NP)

Ms. D. Bharathi Reddy,Adv.(NP)

Mr. Sanjay R. Hegde,Adv.

Ms.C.K.Sucharita, Adv.

Mr.I.Venkatanarayana, Adv.
Mr.D.Mahesh Babu, Adv.

Ms. Sumita Hazarika,Adv.(NP)

Ms. A. Subhashini,Adv.

Mr. Kuldip Singh,Adv.
Mr.R.K.Pandey, Adv.

Mr. Ravindra Keshavrao Adsure,Adv.(NP)

Mr. Prashant Kumar,Adv.

Mr. Vishwajit Singh,Adv.(NP)

Mr. Sanjay V. Kharde,Adv.
Ms. Asha G. Nair,Adv.

W.P.(C)No.196/2001 contd..

Mr. K.V. Mohan,Adv.(NP)

Mr. Rajesh Srivastava,Adv.(NP)

Mr. Anuvrat Sharma,Adv.(NP)

Mr. K.N. Madhusoodhanan,Adv.
For Mr. R. Sathish,Adv.

Mr. R.C. Kaushik,Adv.(NP)

Mr.A.K.Singh Tarun, Adv.
For Mr.Debasis Misra, Adv.

Mr. Pradeep Misra,Adv.(NP)

Mr. Venkateswara Rao Anumolu,Adv.

Mr.S.K.Dubey, Sr.Adv.
Mr. B.S. Banthia,Adv.
Mr. Vikas Upadhyay,Adv.

Mr. G. Prakash,Adv.
Mr.V.Senthil,Adv.

Mr. Anil Kumar Jha,Adv.(NP)

Mr. Vikas Mehta,Adv.

Mr. Naresh K. Sharma,Adv.

Mr. Anis Suhrawardy,Adv.(NP)

Mr.Sunil Fernandes, Adv.
Mr.Vikrant Nagpal, Adv.
Mr.Sidhant Goel, Adv.
Ms.Renu Gupta, Adv.

Mr. S.M. Jadhav,Adv.(NP)

Mrs.Aruna Mathur, Adv.
Mr.Amarjeet Singh Girsa, Adv.
For M/s.Arputham,Aruna & Co.,Advs.

Mr.S.K.Keshote,Sr.Adv.
Mr.Abhijit Sengupta,Adv.

Mr.M.N.Krishnamani, Sr.Adv.
Mr.Bikas Kargupta,Adv.
Mr.Abhhijit Sengupta, Adv.
Mr.P.S.Patwalia,Sr.Adv.
Mr.Manish Pitale, Adv.
Mr.Wasi Haider, Adv.
For Mr.C.S.Ashri, Adv.
Mr.J.R.Das, Adv.(NP)
Mr.Manjit Singh, Adv.
Mr.Manish Tiwari, Adv.
Mr.Sanjy Kr.Rathee, Adv.
Mr.Pragyan P.Sharma,Adv.
For Mr.P.V.Yogeswaran, Adv.

वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट यह आदेश जारी करता है।

हमने याचिकाकर्ता की ओर से श्री कॉलिन गोजालविस, प्रख्यात वरि ठ वकील तथा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (अतिरिक्त महान्यायवादी) श्री मोहन पारासरन की दलीलें सुनी हैं।

कोर्ट की ओर से नियुक्त कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 50,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़कर खराब हो चुका है तथा यह इंसानों के उपयोग के लायक नहीं बचा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई

लाख मीट्रिक टन गेहूं जिसकी खरीदी की जा चुकी है, उसे सही तरह से सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। वे चाहते हैं कि भारत सरकार हमें यह सूचित करे कि उसने खरीदे हुए खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए हैं।

भारतीय खाद्य निगम को अपने गोदामों की संग्रहण क्षमता का सही आकलन करना चाहिए तथा उसी मात्रा में खाद्यान्न की खरीदी करनी चाहिए जितनी वह सही ढंग से सुरक्षित भंडारण कर सकता है।

इस संदर्भ में श्री गोंजालविस ने यह भी कहा कि इस व र्ा भारी मात्रा में खाद्यान्न की खरीदी को देखते हुए प्रत्येक कार्डधारी को 35 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री गोंजालविस ने आगे कहा कि अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणी में आने वाले लोगों को संभवतः तीन रुपए किलो की दर से चावल तथा दो रुपए किलो की दर से गेहूं (35 किलोग्राम) का वितरण किया जा रहा हो, लेकिन उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य उपेक्षित तबकों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

श्री गोंजालविस ने हमारा ध्यान 19.08.2005 के उस आदेश की तरफ दिलाया जिसमें अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, सीमांत किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों, झुग्गी–झोपड़ी वासियों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के उन लोगों जो अपनी आजीविका के लिए रोजाना की मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, घर की मुखिया विधवा अथवा बेहद गंभीर रूप से बीमार या विकलांग लोगों के होने पर उन्हें, साठ साल से इससे ज्यादा उम्र के ऐसे व्यक्ति जिनके पास कमाई का कोई सुरक्षित जरिया या सामाजिक सुरक्षा न हो, विधवाओं या गंभीर तौर पर बीमार अथवा विकलांगों जिनकी उम्र 60 साल से इससे ज्यादा हो, अकेली महिला या पुरु ा जिन्हें परिवार या समाज का सहयोग न हो या फिर कमाई का नियमित जरिया न हो; सभी आदिम जाति के लोगों तक किया गया तथा इन्हें रियायती दर पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न देने की योजना में शामिल किया गया था।

श्री गोंजालविस ने यह भी कहा कि देश के 150 गरीबतम जिलों में रियायती दरों पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। जस्टिस वाधवा ने उड़ीसा राज्य की रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न के वितरण के सिलसिले में खाद्यान्न का भंडारण करने वाली संस्था की व्यवस्था एक अहम पहलू है। यह व्यवस्था तत्काल खत्म की जानी चाहिए। राज्य निगमों के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता, सुविधाएं व अनाज सुरक्षित रखने के तरीके हैं। ऐसे निगमों के तहत आने वाले कई गोदाम अनाज भंडारण एजेंसियों या संस्थाओं को किराए पर दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग के 15 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 6 गोदाम हैं तथा 1000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले 300 गोदाम हैं।

पंचायती राज विभाग तथा शहरी विकास विभाग के पास जरूरत पड़ने पर और भी गोदाम हो सकते हैं।

इस सुझाव की ओर भारत सरकार को भी ध्यान देना चाहिए तथा अगली सुनवाई में उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। खाद्य आयुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक लाखों बोगस कार्ड प्रचलन में हैं। टाइम्स आफ इंडिया अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले उड़ीसा राज्य में ही 2,50,000 बोगस कार्ड प्रचलन में हैं। अखबार में एक विज्ञापन निकालकर बोगस कार्डधारी सभी लोगों को चेतावनी देनी चाहिए कि वे अपने बोगस कार्ड फौरन सरेंडर कर लें, ऐसा विज्ञापन जारी करने के बाद हर हालत में दो हफ्ते के अंदर हो

जाना चाहिए, ऐसा न होने की सूरत में बोगस कार्डधारी लोगों के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। हमें भ्र टाचार के मामले कतई सहन न करने जैसी संस्कृति विकसित करनी ही होगी।
जब तक तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, ऐसे मामलों का असर उन गरीबतम नागरिकों पर पड़ता रहेगा जो खाद्यान्न के कानूनी हकदार हैं। यह यह सुनिश्चित करना ही होगा कि हर गरीब व्यक्ति को हर दिन कम से कम दो वक्त का भोजन मिल सके।

अब यह जरूरी हो गया है कि एपीएल यानी गरीबी रेखा से ऊपर वालों की श्रेणी को खत्म कर दिया जाए। अगर किसी कारणवश यह संभव न हो पाए तो सरकार को इसे उन परिवारों तक सीमित कर देना चाहिए जिनकी सालाना आमदनी दो लाख रुपए से कम है। हमें इस बात का कोई औचित्य नजर नहीं आता कि दो लाख रुपए ज्यादा की सालाना आमदनी वाले परिवारों के कार्डधारकों को रियायती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाए। हम यह भी चाहते हैं कि भारत सरकार एक ताजा सर्वेक्षण कर ऐसे नागरिकों की व्यापक तथा सटीक जानकारी हासिल करे जो एपीएल, बीपीएल तथा अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणी में आते हैं। ऐसा सर्वेक्षण जल्द से जल्द हो जाना चाहिए।

ऐसा सर्वेक्षण एपीएल, बीपीएल व अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणी वाली लक्षित आबादी की साफ तस्वीर जानने के लिए बेहद जरूरी है।

कुछ राज्य गेहूं का आटा बांट रहे हैं, जिसमें पो ाण की सुरक्षा होनी भी जरूरी है। सरकार भी जस्टिस वाधवा की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गेहूं का आटा मुहैया कराने पर विचार कर सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं की जगह गेहूं का आटा मुहैया कराने पर चोरी आदि की आशंका कम हो जाती है।
यह जरूरी है कि खाद्यान्न 2010 की अनुमानित आबादी के हिसाब से आवंटित किया जाए। श्री पारासरन, एडिशनल सालिसिटर जनरल ने इस मसले पर भारत सरकार की ओर से जवाब देने के लिए थोड़े समय की प्रार्थना की है।

डब्ल्यू.पी. सी नंबर 277/2010

नोटिस जारी की। भारत सरकार की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल ने नोटिस स्वीकार की। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई की तारीख से पहले पेश करें।

यह सारी सामग्री 06.09.2010 को दो बजे अपरान्ह पुनः सूचीबद्ध करें।

(जी.वी. रमण)
कोर्ट मास्टर

(नीरू बाला विज)
कोर्ट मास्टर